अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की
	लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" ~~अब~~ में पेश हो। ह.	
12/6/17 पुरखाराम बनवारीलाल रमेश कुमार Hans Raj बनवारी बलवान [illegible] पालाराम कान्तराम जोगेन्द्र सिंह श्याम सुन्दर	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017 ग्राम पंचायत [illegible] में शिविर में पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित व्यक्तियों से मजमेआम में वसीयत कर्ता निधान सिंह पुत्र मैनासिंह जाति जटसिख द्वारा अपने पुत्रों कुटासिंह सतनाम सिंह के हक में की गई वसीयत के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। शिविर में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि वसीयत कर्ता निधान सिंह पुत्र मैनासिंह को हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे। कई बार वसीयतकर्ता निधान सिंह बातों बातों में अपने दिल की बात बता देते थे। श्री निधान सिंह बहुत ही अच्छा ~~आदमी~~ इन्सान था। कई बार निधान सिंह कहते थे कि मैं अपनी कृषि भूमि की वसीयत अपने पुत्रों कुटासिंह सतनाम सिंह के नाम करवाऊंगा। जो भी निधान सिंह ने वसीयत अपने पुत्रों के हक में ~~करवाऊंगा~~ करवाई है वह बिलकुल सही है। मौके पर कब्जा काश्त भी कुटासिंह, सतनाम सिंह का है। बताया कि मौके पर कोई विवाद नहीं है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 1FC के खाता संख्या 37 में निधान सिंह पुत्र मैनसिंह के नाम 1.271 हैक्ट. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रश्नगत रकबा स्व: अर्जित है। मौके पर कब्जा काश्त वसीयत अनुसार है। प्रश्नगत रकबा रहन/बैय नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद इत्यादि नहीं है। [illegible]	

Scanned by CamScanner

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

विचाराधीन है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से
प्रभावित नहीं है। प्रश्नगत रकबा किसी सार्वजनिक
प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित / अवाप्त नहीं है।
इस कार्यालय के पत्रांक /वि.प्र./मु.फ./2017/650-51
दिनांक 17/3/2017 को पत्रावली के सम्बन्ध में आपत्ति/
एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना, समाचार पत्र
"दैनिक भोर" दिनांक 18/3/2017 के अंक में पृष्ठ
संख्या 2 कॉलम संख्या 1 पर प्रकाशित की गई।
सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र दैनिक भोर में प्रकाशित
करवाने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में
कोई आपत्ति / एतराज प्राप्त नहीं हुए है।
राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके
द्वार - 2017 शिविर में मजमे आम में पत्रावली
में दर्ज गवाहान श्री जरनैल सिंह पुत्र फत्तासिंह
जाति जटसिख और श्री करतार सिंह पुत्र श्री
लालसिंह जाति जटसिख को बार-बार आवाज
लगवाई गई। प्रार्थी ने उपस्थित होकर शिविर
गवाहान श्री जरनैलसिंह पुत्र फत्तासिंह और
करतारसिंह पुत्र लालसिंह के मृत्यु ~~प्रमाण~~ प्रमाण
पत्र पेश ~~किये~~ किये। जरनैल सिंह का देहान्त
दिनांक 24/1/1986 को और करतार सिंह पुत्र
लाल सिंह का देहान्त दिनांक 5/1/1993 को
हो चुका है। प्रार्थी ने जरनैलसिंह पुत्र फत्तासिंह
और करतार सिंह पुत्र लालसिंह के मृत्यु प्रमाण
पत्र एवं प्रमाणित फोटोकॉपी प्रस्तुत की। पत्रावली
के साथ संलग्न कागजात का, मूल कागजात से मिलान
हेतु, श्री मूल कागजात प्रस्तुत किये, जो मिलान बाद
प्रार्थी को पुनः लौटा दिये गये।

Scanned by CamScanner

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की ता
	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" ग्राम पंचायत मुकलावा में शिविर में मजमे आम में उपस्थित व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आज निर्णय मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2017" में लिखवाया जाकर सरेआम मजमेआम खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर	

Scanned by CamScanner